**न्यायालय विशेष न्यायाधीश (आवश्यक वस्तु अधिनियम) वाराणसी।**

आपराधिक प्रकीर्ण वाद संख्या-926 सन 2022

उमेश चन्द्र पाण्डेय बनाम संदीप कुमार साव

अपराध संख्या-231/2016
अंतर्गत धारा- 135 विद्युत अधि०
थाना- कपसेठी
जिला-वाराणसी।

**<u>दिनांकः-09-09-2023</u>**

1- पत्रावली आज राष्ट्रीय लोक अदालत में पेश हुई।

2- पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विद्युत विभाग द्वारा निर्गत पत्र/जमा रसीद जो कि संलग्न पत्रावली है, जिसका विद्युत विभाग की ओर से विशेष लोक अभियोजक (विद्युत अधिनियम), वाराणसी द्वारा मिलान किया गया है, के अनुसार अभियुक्त उपरोक्त द्वारा बकाया राजस्व निर्धारण शुल्क/सम्मन शुल्क जमा किया जा चुका है जिसके आधार पर पुलिस द्वारा अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी है। विद्युत विभाग के अधिवक्ता द्वारा इस पर कोई आपत्ति नहीं की गयी है। मामला शमनीय है। ऐसी स्थिति में प्रश्नगत प्रकरण में अभियुक्त **संदीप कुमार साव** के विरूद्ध अग्रेतर कार्यवाही किये जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अतः अंतिम रिपोर्ट स्वीकार किये जाने योग्य है।

**<u>आदेश</u>**

अंतिम रिपोर्ट स्वीकार की जाती है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(राकेश पाण्डेय)
विशेष न्यायाधीश (आवश्यक वस्तु अधिनियम)
वाराणसी।
जे०ओ० कोड- यू०पी० 2397

अभिषेक कुमार -स्टेनो

Digitally signed by Rakesh Pandey
Date: 2023.09.21 13:42:07 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court